Lib. 251

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1707—1712

Dated : 28-12-2013

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 293.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संगणक केन्द्र वर्ग 'ग' तथा वर्ग 'घ' (गैर तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1980 को ज़हां तक इसका संबंध पुस्तकालयाध्यक्ष पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संगणक केन्द्र सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संगणक केन्द्र, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	*01 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित/ अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

		(6)
		टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री । (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त या कानूनी संगठन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष वृत्तिक अनुभव । **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा । **टिप्पण : 1** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लिखित दर्ज करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण : 2** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक दूर रहने के कारण रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के उन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं और स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :— 1. उप महानिदेशक, संगणक केन्द्र —अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, संगणक केन्द्र —सदस्य 3. उप निदेशक, संगणक केन्द्र —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-46011/1/2011-प्रशा. II]

एस. के. रॉय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2013

G.S.R. 293.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Computer Centre Group 'C' and Group 'D' (Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Computer Centre, Ministry of Statistics and Programme Implemetation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implemetation, Computer Centre, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or scale of pay.—The number of said posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

254

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant	01*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus Grade Pay Rs.4200	Not applicable	Not exceeding 30 years. **Note 1 :** Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instuctions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).

(5)

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute; (ii) Two years' professional experience in a Library under Central or State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory Organisation or University or Recognized Research or Educational Institution. **Desirable :** Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption,grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by incumbent being away on tranfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7) above.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Deputy Director General, Computer Centre —Chairman 2. Joint Director, Computer Centre —Member 3. Deputy Director, Computer Centre —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. A-46011/1/2011-Admn. II]

S. K. ROY, Under Secy.

MGIPRRND—5472 S&PI/2013—100 Copies.